यू.पी.एस.आर.टी.सी.

बनाम

राम किशन अरोड़ा

09 मई, 2007

[न्यायाधिपति एस.बी सिन्हा एवं मार्कंडेय काटजू]

श्रम कानून-सेवा से बर्खास्तगी-अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा आपराधिक विश्वासघात के आरोप में-औद्योगिक विवाद-श्रम अदालत ने पूर्ण वेतन के साथ कर्मचारी की बहाली का निर्देश दिया-रिट क्षेत्राधिकार में, उच्च न्यायालय द्वारा बर्खास्तगी की सजा को घटाकर दो वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः दुराचार की गंभीर प्रकृति को देखते हुए बर्खास्तगी की सजा उचित है-उच्च न्यायालय किसी कारण को निर्दिष्ट किए बिना रिट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में सजा को कम नहीं कर सकता। भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-रिट अधिकार क्षेत्र।

प्रत्यर्थी को अपीलार्थी-निगम के साथ एक परिचालक के रूप में नियुक्त किया गया था। जब प्रत्यर्थी एक बस में ड्यूटी पर था, तो निरीक्षक दल द्वारा बस की जाँच की गई। प्रत्यर्थी ने जाँच प्रक्रिया में बाधा डाली और अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। उसके खिलाफ आरोप तय किए गए। विभागीय कार्यवाही में भी यही साबित हुआ। नियुक्ति प्राधिकारी ने उन्हें सेवा से हटा दिया। इसके खिलाफ विभागीय अपील भी खारिज कर दी गई थी। प्रत्यर्थी ने औद्योगिक विवाद उठाया। श्रम न्यायालय ने पूर्ण बकाया वेतन के साथ उसकी बहाली का निर्देश दिया। नियोक्ता द्वारा की गई रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए संचयी वृद्धि के साथ दो वेतन वृद्धि को रोकने के साथ उसके पुनर्स्थापन का निर्देश दिया गया था। बकाया वेतन से इनकार कर दिया गया था, इसलिए निगम द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई।

अपील की अनुमति देते हुए न्यायालय ने

अभिनिर्धारितः1. अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा हटाए जाने की सजा सही है। विश्वास का पद धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन करना गंभीर प्रकृति का दुराचार है। प्रत्यर्थी के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित होने के बाद, उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का

प्रयोग करते हुए सजा को कम करने और केवल दो वेतन वृद्धि को रोकने की सजा देना न्यायानुमत नहीं था। [पैरा 11 और 6] [210-बी, 208-बी, सी]

2.उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है कि प्रत्यर्थी पर लगाए गए दंड की मात्रा उसके दुराचार की गंभीरता के असंगत थी। ऐसी स्थिति में भी, जो कार्यप्रणाली आम तौर पर उच्च न्यायालय के लिए सजा की मात्रा के संबंध में यह सामान्यतया खुला था कि वह प्रश्न पर पुनर्विचार के लिए नियोक्ता को मामला पुनः भेजे। उच्च न्यायालय बिना कोई कारण बताए अपनी राय को अनुशासनात्मक प्राधिकरण के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं कर सकता था। [पैरा 7] [208-सी, डी]

आनंद क्षेत्रीय सहकारी समिति ऑयल सीड्सग्रोअर्स यूनियन लिमिटेड बनाम शैलेश कुमार हर्षदभाई शाई, ***[2006] 66 एस.सी.सी.548;*** यू.पी.स्टेट सड़क परिवहन निगम, देहरादून बनाम सुरेश पाल, ***[2006] 8 एस.सी.सी. 108*** और अमृत वनस्पति कंपनी लिमिटेड बनाम खेमचंद एवं अन्य ***[2006] 6 एस.सी.सी. 325***, पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षैत्राधिकारः दीवानी अपील सं.2410/2007

उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका सं.1169 (एम/एस) (2000 की पुरानी सं.1209) के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 05.08.2005 से

अपीलार्थी की ओर से प्रदीप मिश्रा।

प्रत्यर्थी की ओर से सी.एल.साहू, रिषभ साहू एवं हेमा साहू

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था।

एस. बी. सिन्हा, जे.1. अनुमति दी गई।

2. प्रत्यर्थी, अपीलार्थी के साथ काम कर रहा था-सड़क परिवहन निगम अधिनियम के तहत निगम का गठन किया गया, जिसमें प्रत्यर्थी परिचालक के तौर पर था। वह पंजीकरण संख्या यूपी-07 बी/2932 वाली बस जो कि देहरादून भुक्की मार्ग पर चल रही थी, में उक्त क्षमता में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था। उक्त बस की जाँच एक निरीक्षण दल द्वारा की गई थी। 35 यात्री उक्त बस में बिना किसी यात्रा टिकट के यात्रा कर रहे थे, हालांकि प्रत्यर्थी ने कथित तौर पर उनसे किराया वसूल किया था। उसने अधिकारियों को धमकी देकर और गाली देकर जाँच प्रक्रिया में बाधा डाली। उसने उन्हें वे-

बिल में कोई प्रविष्टि करने की भी अनुमति नहीं दी। उसके कदाचार के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसके बाद 04.04.1996 को एक आरोप पत्र जारी किया गया था। देहरादून के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक श्री टी.के.विशन को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया। जाँच अधिकारी का तबादला कर दिया गया और उनके स्थान पर श्री आर.के.गुप्ता ने जाँच रिपोर्ट तैयार की। उसके खिलाफ कदाचार के आरोप विभागीय कार्यवाही में साबित हुए। दूसरा कारण दर्शाओ नोटिस जारी होने पर और उसके द्वारा दिखाए गए कारण पर विचार करने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकरण की राय आई कि यह प्रत्यर्थी को सेवा में रखना निगम के हित में है। इसके पश्चात वह दिनांक 07.11.1997 के आदेश द्वारा सेवा से हटा दिया गया। इसके विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा एक विभागीय अपील प्रस्तुत की गई, जो भी खारिज कर दी गई। इसके पश्चात उसके द्वारा एक औद्योगिक विवाद उठाया गया।

3. श्रम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि अपराध का निष्कर्ष विभागीय कार्यवाही में प्रत्यर्थी के खिलाफ विकृत था। यह भी पाया गया कि पूछताछ अधिकारी श्री टी.के.विशन का तबादला कर दिया गया है। श्री आर.के. गुप्ता जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। श्रम न्यायालय ने प्रत्यर्थी को पूरी बकाया मजदूरी के साथ बहाल करने का निर्देश दिया। उक्त पंचाट की शुद्धता पर प्रश्न उठाने वाला एक रिट आवेदन अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया, जिसमें उत्तरांचल उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित कियाः-

> "6. मैं विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष के साथ सहमत नहीं हूँ। न्यायाधिकरण को निष्कर्ष दर्ज नहीं करना चाहिए था कि आलोचनात्मक व्यवहार के संबंध में अधिकारियों के खिलाफ रिकॉर्ड का कोई सबूत नहीं है। नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्षदर्शी श्री दामोदर कला ने शपथ पर कहा कि जाँच के समय कुछ कर्मचारी और अधिकारियों के बीच झगड़ा चल रहा था। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने स्वयं वे बिल के विवरण को पूरा जाली बनाया था। इसलिए मुझे लगता है कि प्रत्यर्थी सं.3 का कुछ बुरा इरादा था। प्रतिवादी सं.3 का आलोचनात्मक व्यवहार अधिकारियों के खिलाफ भी साबित हुआ।
>
> 7. इसलिए, मेरी राय में, प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मुझे प्रत्यर्थी सं.3 के व्यवहार में कुछ त्रुटि मिलती है। अधिकारियों

के खिलाफ प्रत्यर्थी संख्या-3 का आलोचनात्मक व्यवहार चौंकाने वाला है। इसलिए यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या-2 को संचयी प्रभाव के साथ दो वेतनवृद्धि के ठहराव के साथ सेवा में बहाल किया जाएगा। हालाँकि वह किसी भी बकाया वेतन का हकदार नहीं होगा।

8.रिट याचिका आंशिक स्वीकार की गई। प्रत्यर्थी संख्या-2 को संचयी प्रभाव के साथ दो वेतनवृद्धि के ठहराव के साथ सेवा में बहाल किया जाएगा। हालाँकि वह किसी भी बकाया वेतन का हकदार नहीं होगा।

4. हमारे समक्ष इस अपील में अपीलार्थी निगम है। प्रत्यर्थी द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई।

5. प्रत्यर्थी के द्वारा उच्च न्यायालय के निष्कर्ष पर पहुंचने पर सवाल नहीं उठाया गया। जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है कि वह एक गंभीर दुराचार करने का दोषी था, एकमात्र सवाल जो विचार के लिए उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या यह उच्च न्यायालय के लिए खुला था कि वह अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा दी गई सजा को प्रतिस्थापित करे।

6. अब यह सुस्थापित हो गया है कि विश्वास का पद धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया आपराधिक विश्वासघात गम्भीर प्रकृति का कदाचार होता है। प्रत्यर्थी के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित होने के बाद, हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए सजा को कम करने और केवल दो वेतन वृद्धि को रोकने की सजा देने में बिल्कुल भी न्यायानुमत नहीं था।

7. उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है कि मात्रा प्रत्यर्थी पर लगाया गया दंड उसके दुराचार के गंभीरता के अनुरूप नहीं था। ऐसी स्थिति में भी, जो मार्ग सामान्य रूप से उच्च न्यायालय के लिए खुला होता, वह था मामले को नियोक्ता को सजा की मात्रा के संबंध में प्रश्न पर पुनर्विचार के लिए भेजना। उच्च न्यायालय बिना कोई कारण बताए अनुशासनात्मक प्राधिकारी की राय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता था।

8. आनंद क्षेत्रीय सहकारी समिति ऑयल सीड्सग्रोवर्स यूनियन लिमिटेड बनाम शैलेश कुमार हर्षदभाई शाई [2006] 6 एस.सी.सी.548, इस न्यायालय ने राय दी:

" यद्यपि श्रम न्यायालय के पास सजा की मात्रा के प्रश्न पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन इसकी भूमिका सीमित थी। अब यह सुस्थापित है कि औद्योगिक अदालतें सजा की मात्रा में हस्तक्षेप नहीं करती हैं, जब तक कि इसके लिए पर्याप्त कारण मौजूद न हों।

9. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, देहरादून बनाम सुरेश पाल ***[2006] 8 एस.सी.सी.108***, में इस न्यायालय ने कानून को इस प्रकार कहा:

"आम तौर पर, अदालतें सजा को तब तक प्रतिस्थापित नहीं करती जब तक कि वे आश्चर्यजनक रूप से असंगत हो और यदि सजा में हस्तक्षेप किया जाता है या उनके असाधारण अधिकार क्षेत्र में कम सजा से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो यह अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अगर न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 का प्रयोग कर हल्की सजा को प्रतिस्थापित करता है, तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। देश के सभी राज्य सड़क परिवहन निगम इस तरह के अधिकारियों के कदाचार के कारण लाल हो गए हैं, इसलिए, यह समय है कि दुराचार से सख्ती से निपटा जाए और नरमी से नहीं। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने इस न्यायालय का ध्यान क्षेत्रीय प्रबंधक, यू.पी.एस. आर.टी.सी. बनाम होटीलाल के निर्णय की ओर आकर्षित किया, जिसमें इस न्यायालय ने बहुत स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि यह कथन कि हल्की सजा प्रतिस्थापन के लिए पर्याप्त नहीं होगी। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: (एससीसी पेज 606)

"सजा की मात्रा पर विचार करते समय अदालत या न्यायाधिकरण को कारण दर्ज करना होगा कि यह क्यों महसूस किया जाता है कि साबित आरोपों में सजा नहीं दी गई थी। हस्तक्षेप की गुंजाइश असाधारण मामलों तक अत्यंत सीमित और निर्बंधित है। उच्च न्यायालय के आदेश में यह नहीं बताया गया कि सजा असंगत क्यों है। कारण देने में असफल रहना न्याय से इन्कार के तुल्य है। मात्र यह कथन कि यह असंगत है, पर्याप्त नहीं होगा। यह केवल अंतर्वलित राशि नहीं है, लेकिन मानसिक व्यवस्था, किए गए कर्तव्य का प्रकार और इसी तरह के प्रासंगिक परिस्थितियाँ जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में आती हैं जबकि यह देखते हुए कि क्या सजा आनुपातिक है या असंगत है। यदि आरोपित नियोक्ता विश्वास का पद धारण करता है, वहाँ ईमानदारी और सत्यनिष्ठा कार्य करने की अंतर्निहित आवश्यकताएं हैं, इस मामले से नरमी से निपटना उचित नहीं होगा। ऐसे मामलों में गलत आचरण को सख्ती से

निपटना होगा। जहाँ व्यक्ति लोक धन के साथ सौदा करता है या वाणिज्यिक संव्यवहार में लिप्त है या वैश्वासिक हैसियत में कार्य करता है, वहाँ उच्च स्तर की अखंडता एवं विश्वसनीयता अत्यावश्यक एवं अप्रत्याशित है। उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निष्कर्ष उचित नहीं है"।

इस न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए जोड़ने के लिए और कुछ नहीं।''

10. अमृत वनस्पति कंपनी लिमिटेड बनाम खेमचंद और अन्य [2006] 625 इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

".....हमारी राय में, उच्च न्यायालय अपने रिट अधिकार क्षेत्र के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस तरह के पहलुओं से नहीं निपट सकता कि क्या एक कर्मचारी को प्रबंधन द्वारा उसके दुराचार के लिए दी गई सजा पर्याप्त है या नहीं। इसके अतिरिक्त अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, श्रम न्यायालय द्वारा दिए गए तथ्यात्मक निष्कर्ष जो श्रम न्यायालय द्वारा उसके समक्ष पेश किए गए तथ्यों एवं साक्ष्य पर आधारित था, में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमारी राय में उच्च न्यायालय ने यह मानने में गम्भीर गलती की है कि प्रत्यर्थी-1 के साक्ष्य पर श्रम न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था और यह निष्कर्ष निकाला था कि प्रत्यर्थी-1 की साक्ष्य किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करते थे। हमारी राय है कि बर्खास्तगी के आदेश की पुष्टि करते हुए श्रम न्यायालय द्वारा पारित सुविचारित आदेश में हस्तक्षेप करना उच्च न्यायालय का अधिकार नहीं है।

11. उपरोक्त कारणों से आक्षेपित निर्णय को स्थिर नहीं रखा जा सकता। उक्तानुसार इसे अपास्त किया जाता है। श्रम न्यायालय के पंचाट को भी अपास्त किया गया और अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दी गई निष्कासन सजा की पुष्टि की गई। अपील स्वीकार की जाती है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अपील स्वीकार।

अश्विनी शर्मा
(न्यायिक अधिकारी)

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अश्विनी शर्मा (न्यायिक अधिकारी) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझााने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।